राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.12(3)वित्त/नियम/2022 जयपुर, दिनांक : 28 AUG 2022

परिपत्र

विषय : दिनांक 01–01–2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत रख राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 निरसित होने के उपरान्त भी NPS के अन्तर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में।

संदर्भ : वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचनाएं क्रमांक प.12(3)वित्त/नियम/2022 एवं क्रमांक प.12(2)वित्त/नियम/2022 दिनांक 19–05–2022

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 01–01–2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने तथा राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 निरसित किये जाने की अधिसूचनाएं उपरोक्तानुसार जारी की जा चुकी हैं। तदुपरान्त भी यह जानकारी में आया है कि दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारी एनपीएस के अन्तर्गत आहरण हेतु आवेदन कर रहे है जो एक गंभीर विषय है।

इस संबंध में यह निर्देश जारी किये जाते हैं कि दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी यदि राज्य सरकार की अधिसूचनाएं दिनांक 19–5–2022 लागू होने के उपरान्त भी एनपीएस के अन्तर्गत आहरण के लिए आवेदन करते हैं तो यह माना जायेगा कि वह राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 के अन्तर्गत NPS का ही सदस्य बने रहना चाहते हैं और राज्य सरकार के निर्णय के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं।

अतः इस परिपत्र के माध्यम से दिनांक 1–1–2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई इस परिपत्र के जारी होने के उपरान्त उनके द्वारा NPS के अन्तर्गत आहरण के लिये आवेदन किया जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जा कर राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन माना जायेगा तथा राज्य बीमा विभाग उस कार्मिक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करेगा।

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को उपरोक्त निर्देशों की पालना हेतु।
11. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
12. अतिरिक्त निदेशक, कोष एवं लेखा (IFMS)
13. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, कोष एवं लेखा NIC (IFMS)
14. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
15. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
16. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
17. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

28/8/22

(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(NPS 03 / 2022)